

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

सार्वजनिक बिक्की नीलामी सूचना
नीलामी की तिथि
25.07.2025
(अचल सम्पत्ति हेतु)

पूर्ववर्ती बडोदा यू.पी. बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी रोड, प्रतापगढ़-230001 email id-roparat@barodauprb.co.in

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी निकी सूचना
वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और / या नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रॉ) / गारंटीदाता (ओं) बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्की द्वारा बैंको के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बडोदा यू० पी० बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को 'जैसा है जहां है', जैसा है जो है और 'जो है वही है' आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 24.07.2025 को या उससे पहले, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 25.07.2025 को दोपहर 1:00 बजे खोली जायेगी।

क्र० सं०	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/ अधिविहण तिथि/ अधिविहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित धनराशि/ अधिविहण धनराशि/ (ईएमडी) (रु०)	विवाद का विवरण/ अवलंबन का विवरण
----------	---	-----------------------	--	--------------------	---	---------------------------------

शाखा- विकास भवन, खाता संख्या-56651061964

1.	ऋणी-श्री विनीत कुमार शुक्ल पुत्र श्री दिनेश प्रसाद शुक्ला टीचर्स कॉलोनी पूरे ईश्वरनाथ जिला: प्रतापगढ़ (30390) जमानतकर्ता- श्री रमेश कुमार तिवारी पुत्र श्री गुरु दीन ग्राम/मोहाल्ला- पूरे ईश्वरनाथ, पोस्ट- प्रतापगढ़, जिला- प्रतापगढ़ श्री अनिल कुमार मिश्रा पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद ग्राम/मोहाल्ला- सगरा (अष्टभुजा नगर), पोस्ट- प्रतापगढ़, जिला-प्रतापगढ़	साम्यिक बंधक सम्पत्ति भूमि एवं भवन - फ्लॉट संख्या 391मि. क्षेत्रफल - 0.007 हेक्टेयर (संपत्ति) राजस्व ग्राम, चकबनतोड़, संसारा, तहसील- सदर, जिला- प्रतापगढ़ में स्थित है। स्वामी- श्री विनीत कुमार शुक्ला पुत्र श्री दिनेश प्रसाद शुक्ला पता- शिक्षक कॉलोनी, पूरे ईश्वरनाथ जिला: प्रतापगढ़ (यू.पी) चौहद्दी- उत्तर- विजय सिंह का फ्लॉट , दक्षिण- अजिता तिवारी का फ्लॉट , पूरब- सुधा पटेल एवं रेशम का फ्लॉट , पश्चिम- 16' चौड़ी सड़क	14.03.2018	Rs. 1418356/- + ब्याज दिनांक 01.09.2017 एवं अन्य खर्च (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटाये)	आरक्षित धनराशि Rs. 11,50,000 अग्रिम धनराशि Rs. 1,15,000	सिविल न्यायालय प्रतापगढ़ सिविल वाद संख्या 236/ 2018 एवं प्रकीर्ण वाद संख्या 25/ 2024 जिसमें बैंक के विरुद्ध स्थगन आदेश नहीं है। ज्ञात नहीं
			10.01.2019			
			भौतिक			

बिक्की के नियम एवं शर्तः 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। पैनाई एवं फोटो पहचान पत्र के साथ (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में प्रतापगढ़ में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन / अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्की की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निरविवेक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्की / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. सफल नीलामी के लिए स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क, संपत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का वहन स्वयं करना होगा। 8. बोली / बिक्की बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो कुछ है' और 'वहां जो कुछ भी है' आधार पर बेचा जा रहा है। 9. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 10. यह बिक्की नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता /सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 11. बिक्की के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodaupbank.in/sarfaesinotice.php>

दिनांक- 05.06.2025

स्थान- प्रतापगढ़

प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक